न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 17/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. हाकम सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ ए तहसील श्रीकरणपुर।		1. मखन सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी पिण्ड नवाकलां तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब। 2. कुलविन्द्र कौर पत्नी मखन सिंह जाति जटसिख निवासी पिण्ड नवाकलां तहसील व जिला फरीदकोट पंजाब। 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 25.04.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह वडिंग, अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

--निर्णय-- दिनांकः 09.06.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 11 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 82/15 के मुरब्बा नम्बर 68, 80/31 की 2.150 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 86/1 के मुरब्बा नम्बर 68, 80/30 की 1.264 हैक्टेयर भूमि व चक 12 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 23, 42, 64, 74/9, 74/19 की 12.520 हैक्टेयर व इसी चक के खाता संख्या 48/45 के मुरब्बा नम्बर 43 की 3.111 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता के पास 77 बीघा भूमि थी। प्रार्थी के पिता गुरचरण सिंह के जायज एंव कानूनी वारिस प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 मखन सिंह, अप्रार्थी नायब सिंह, बहिन गुड्डी तथा मृतक राजेन्द्र सिंह थे। लडकी गुड्डी की शादी कर दी थी। उसका हक एवं हिस्सा पिता के जीवनकाल में ही दे दिया था और पिता के जीवनकाल में ही भूमि का घरेलू बंटवारा कर लिया था, घरेलू बंटवारा में अच्छी-बुरी भूमि के हिसाब से अप्रार्थी संख्या 1 को 20 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी मखन सिंह व उसकी पत्नी कुलविन्द्र कौर द्वारा अपने कब्जा एंव हिस्सा की तमाम भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा करीब आज से एक वर्ष पूर्व बेचान कर दी थी और भूमि बेचान करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 मखन सिंह एंव कुलविन्द्र कौर पंजाब चले गये और वहां जाकर बेचान की गई भूमि की राशि से भूमि खरीद [illegible] मखन सिंह पंजाब में निवास कर रहे है। अप्रार्थी मखन सिंह के नाम चक 11 ए[illegible] के [illegible] संख्या 82/15 में 251/2150 हिस्सा एंव इसी चक 11 एफ ए के खाता संख्या 86/1 [illegible] सिंह के नाम 127/1264 हिस्सा कुल 0.378 हैक्टेयर भूमि व [illegible] 12 [illegible] 46/46 में मखन सिंह के नाम 129/12520 हिस्सा भूमि एंव कुलविन्द्र कौर पत्नी मख[illegible] के नाम 9/3121 हिस्सा भूमि यानि 0.035 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में भी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार से अप्रार्थीगण मखन सिंह एंव कुलविन्द्र कौर के नाम दोनों चको में कुल 0.542 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। मखन सिंह ने अपने हिस्सा एंव कब्जा की तमाम भूमि आज से एक वर्ष पूर्व बेचान कर दी थी, जो भूमि अभी भी अप्रार्थीगण मखन सिंह एंव कुलविन्द्र कौर के नाम है। वह भूमि मुझ प्रार्थी को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई थी, इसलिए उक्त शेष भूमि अप्रार्थीगण द्वारा बेचान नहीं की गई थी। उक्त भूमि की पानी की पर्ची प्रार्थी के नाम से बंधी हुई है एंव उक्त भूमि का मामला

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:43 IST
Reason: SelfAttested

भी प्रार्थी द्वारा भरा जा रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का पिछले 35-40 वर्षो से कब्जा काश्त लगातार, शांतिपूर्वक बेरोकटोक चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी मौखिक बंटवारानामा अनुसार एंव कब्जा के अनुसार उक्त भूमि को अपने नाम बतौर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण के मन में अब बेईमानी आ गई है और अप्रार्थीगण उक्त 0.542 हैक्टेयर भूमि अपने नाम होने का अनुचित फायदा उठाकर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमदा है। प्रार्थी को पता चला है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बेचान करने के लिए दलालो से सम्पर्क कर रहे है। जब प्रार्थी को इस बात का पता चला तो प्रार्थी, अप्रार्थीगण से मिला और उन्हे कहा कि वर्तमान में आपके नाम चक 11 एफ ए और चक 12 एफ ए में कुल 0.542 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है और उक्त भूमि मुझ प्रार्थी को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई थी। इसलिए आप उक्त भूमि को मेरे नाम करवा देवे, तो अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार करते हुए कहा कि हम तो उक्त भूमि को तुम्हारे नाम नहीं करवायेगे और उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करके एंव कब्जा तुमसे जबरदस्ती छीन लेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषधाज्ञा जारी की जावे कि चक 11 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 82/15 के मुरब्बा नम्बर 68, 80/31 की 2.150 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 86/1 के मुरब्बा नम्बर 68, 80/30 की 1.264 हैक्टेयर भूमि व चक 12 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 23, 42, 64, 74/9, 74/19 की 12.520 हैक्टेयर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 0.542 हैक्टेयर भूमि को रहन, बैय, वसीयत करने से या अन्य किसी प्रकार से भूमि को हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे एंव उक्त भूमि पर स्वंय दखलअंदाजी करने से या अन्य किसी से करवाने से बाज व ममनू रहे तथा किलावाईज बेचान करने से भी बाज व ममनू रहे। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को घंरू बंटवारा में विरास्तन चक 11 एफ ए व चक 12 एफ ए में 12 बीघा नहरी भूमि व करीब 1.075 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि गुरदयाल सिंह से खरीद की थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने 20 बीघा भूमि का बेचान किया। शेष भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पास चक 11 एफ ए के खाता संख्या 82 में 0.251 हैक्टेयर नहरी व खाता संख्या 86 में 0.127 हैक्टेयर कुल 0.378 हैक्टेयर नहरी भूमि तथा चक 12 एफ ए के खाता संख्या 46 में 0.129 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 2 कुलविन्द्र कौर के नाम 0.036 हैक्टेयर दोनो चको में कुल 0.543 हैक्टेयर नहरी व खाता संख्या 27 में 0.946 हैक्टेयर बारानी भूमि अप्रार्थीगण के पास शेष रही। जिसके अप्रार्थीगण मखन सिंह व कुलविन्द्र कौर खातेदार मालिक है। अप्रार्थीगण पंजाब में रहते है। अप्रार्थी चक 11 एफ ए व चक 12 एफ ए की भूमि को स्वंय हिस्सा [illegible] करवाते है, अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी मखन सिंह [illegible] भूमि की देखभाल करता रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 मखन सिंह का कभी भी कोई बंटवारा [illegible] हाकम सिंह से नहीं हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थी कभी भी काबिज [illegible] अपनी चक 11 एफ ए की तमाम भूमि का बेचान कर चुका है। चक 11 एफ ए में हाकम सिंह के पास कोई भूमि शेष नहीं है, अगर प्रार्थी को बंटवारा में उक्त भूमि मिली होती, तो आज तक भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही करता, जिससे भी साबित हो जाता है कि दावा व प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी उक्त भूमि पर स्थगन आदेश की आड में भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। जिससे

अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतिरिक्त कथन के अनुसार प्रार्थी हाकम सिंह द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 11 एफ ए की तमाम भूमि को बेचान कर चुका है। वर्तमान में चक 11 एफ ए में हाकम सिंह के नाम कोई भूमि नहीं है। प्रार्थी के मन में बदनीयती आ गई है, जिससे अप्रार्थीगण की शेष भूमि पर काबिज होने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करके न्यायालय से सत्यता को छुपाकर एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया, जो विधि विरूद्व हाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि चक 11 एफ ए के खाता संख्या 82 में 0.251 हैक्टेयर नहरी भूमि व खाता संख्या 86 में 0.127 हैक्टेयर भूमि कुल 0.378 हैक्टेयर नहरी भूमि तथा चक 12 एफ ए के खाता संख्या 46 में 0.129 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 2 कुलविन्द्र कौर के नाम 0.036 हैक्टेयर दोनो चको में कुल 0.543 हैक्टेयर नहरी भूमि वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इस प्रकार से अप्रार्थीगण मखन सिंह एंव कुलविन्द्र कौर के नाम दोनों चको में कुल 0.543 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। मखन सिंह ने अपने हिस्सा एंव कब्जा की तमाम भूमि आज से एक वर्ष पूर्व बेचान कर दी थी, जो भूमि अभी भी अप्रार्थीगण मखन सिंह एंव कुलविन्द्र कौर के नाम दर्ज है। वह भूमि मुझ प्रार्थी को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई थी, इसलिए उक्त शेष भूमि अप्रार्थीगण द्वारा बेचान नहीं की गई थी। उक्त भूमि की पानी की पर्ची प्रार्थी के नाम से बंधी हुई है एंव उक्त भूमि का मामला भी प्रार्थी द्वारा भरा जा रहा है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का पिछले 35-40 वर्षो से कब्जा काश्त लगातार, शांतिपूर्वक बेरोकटोक चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थी मौखिक बंटवारानामा अनुसार एंव कब्जा के अनुसार उक्त भूमि को अपने नाम बतौर खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण के मन में अब बेईमानी आ गई है और अप्रार्थीगण उक्त 0.543 हैक्टेयर भूमि अपने नाम होने का अनुचित फायदा उठाकर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमदा है।

जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कथन किये गये कि अप्रार्थी संख्या 1 के पास चक 11 एफ ए के खाता संख्या 82 में 0.251 हैक्टेयर नहरी व खाता संख्या 86 में 0.127 हैक्टेयर कुल 0.378 हैक्टेयर नहरी भूमि तथा चक 12 एफ ए के खाता संख्या 46 में 0.129 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 2 कुलविन्द्र कौर के नाम 0.036 हैक्टेयर दोनो चको में कुल 0.543 हैक्टेयर नहरी व खाता संख्या 27 में 0.946 हैक्टेयर बारानी भूमि अप्रार्थीगण के पास शेष रही है। जिसके अप्रार्थीगण मखन सिंह व कुलविन्द्र कौर खातेदार मालिक है। अप्रार्थी संख्या 1 मखन सिंह का कभी भी कोई बंटवारा प्रार्थी हाकम सिंह से नहीं हुआ है। उक्त भूमि पर प्रार्थी कभी भी काबिज नहीं रहा है। प्रार्थी हाकम सिंह अपनी चक 11 एफ ए की तमाम भूमि को [illegible] चुका है। चक 11 एफ ए में हाकम सिंह के पास कोई भूमि शेष नहीं है, [illegible] में उक्त भूमि मिली होती, तो आज तक भूमि अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही करता [illegible] भी साबित हो जाता है कि दावा व प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार [illegible] है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी उक्त भूमि पर स्थगन आदेश की आड में भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। जिससे अप्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की शेष भूमि पर काबिज होने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश करके न्यायालय से सत्यता को छुपाकर एक तरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया, जो विधि विरूद्व हाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:43 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार उपुर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 मखन सिंह चक 11 एफ ए के खाता संख्या 82 में 0.251 हैक्टेयर नहरी भूमि व खाता संख्या 86 में 0.127 हैक्टेयर नहरी भूमि तथा चक 12 एफ ए के खाता संख्या 46 में 0.129 हैक्टेयर भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 कुलविन्द्र कौर 0.036 हैक्टेयर भूमि के रिकॉर्डड खातेदार है। प्रार्थी हाकम सिंह के नाम चक 11 एफ ए के खाता संख्या 82 व 86 में कोई भूमि शेष नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किए है कि उक्त 0.543 हैक्टेयर भूमि मुझे बंटवारानामा में प्राप्त हुई है। परन्तु कथित बंटवारानामा की कोई प्रति पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला को सिद्व करने में असफल रहा है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। लिहाजा प्रार्थी सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रहा है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। चूकिं वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 मखन सिंह व कुलविन्द्र कौर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी मखन सिंह के नाम चक 11 एफ ए के खाता संख्या 82 व 86 में कोई भूमि शेष नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना कारित नहीं होता है। अतः अपूरणीय क्षति के बिन्दू को भी प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/ खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.09.06 12:32:43 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)